

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.)

पत्र क्रमांक / 2498/W/153/2022  
प्रति,

मण्डलेश्वर, दिनांक : 11/07/2022

1. वन संरक्षक,  
सामान्य वनमण्डल, देवास
2. वनमण्डलाधिकारी,  
सामान्य वनमण्डल, खण्डवा
3. वनमण्डलाधिकारी,  
सामान्य वनमण्डल, शाजापुर

विषय :- जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टेयर वनभूमि (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने बाबद्।

- संदर्भ :-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/एफ-3/102/2021/10-11/16/517 दिनांक 08.02.2022 एवं 525 दिनांक 09.02.2022.
  2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 016/2021-BHO दिनांक 07.02.2022.
  3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल देवास का पत्र क्रमांक/मा.चि. /2022/2048 दिनांक 24.03.2022.
  4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा का पत्र क्रमांक/मा.चि. /2022/818 दिनांक 23.02.2021.
  5. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि. /2022/756 दिनांक 28.02.2022.

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक 6-MPC 016/2021-BHO दिनांक 07.02.2022 के द्वारा आई.एस.पी. कालीसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाईन) की प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित टेबुलर फार्म में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शर्त क्रमांक A (1) के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि मुख्य वन संरक्षक उज्जैन के आदेश क्रमांक मा.चि./36, 37, 38, 39 एवं 40 दिनांक 07.09.2021 तथा वनमण्डलाधिकारी शाजापुर के पत्र क्रमांक मा.चि./2022/756 दिनांक 28.02.2022 के अनुसार राशि रु. 8,99,83,194/- केम्पा मद में जमा कर दी गई है, जिसका विवरण Account No. 1507657139995305 dated 10/03/2022 Rs. 8.99.83.194/- (Eight Crore Ninety Nine Lac Eighty Three Thousand One Hundred Ninety Four Only) IFSC : UBIN0903710 Bank Name : Union Bank of India, Lodhi Complex Branch Block 11, CGO Complex Phase I, Lodhi Road New Delhi, 110003.

वैकल्पिक वृक्षारोपण का पर्यवेक्षण शुल्क स्वीकृति अनुसार रु. 89,98,320/- (उननब्बे लाख अन्तानवे हजार तीन सौ बीस मात्र) एम.पी. ट्रेजरी के एकाउण्ट 0406-01-800-0229 विविध प्राप्तियाँ में दिनांक 07.07.2022 को जमा कर दी गई है। (रसीद संलग्न है।)

शर्त क्रमांक A (2) के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की भूमि (कलेक्टर जिला शाजापुर का आदेश क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 दिनांक 02.07.2021 एवं आदेश क्रमांक 06/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 18.05.2022) के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि नामांतरण (Mutation) वन विभाग के नाम कर दिया गया है। जिसकी खसरा प्रति संलग्न है। उक्त भूमि वन विभाग को विधिवत हस्तांतरित कर दी गई है। हस्तांतरण पत्र की प्रति संलग्न है।

शर्त क्रमांक A (4) के अनुसार नेट प्रेजेण्ट वेल्यू (NPV) की राशि केम्पा मद में जमा कर दी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-3/102/2021/10-11/16/517 दिनांक 08.02.2022, वनमण्डलाधिकारी देवास के पत्र क्रमांक मा.चि./2022/2048 दिनांक 24.03.2022 एवं वनमण्डलाधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक मा.चि./2022/818 दिनांक 23.02.2022 के अनुसार राशि केम्पा मद में जमा कर दी गई है, विवरण निम्नानुसार है :

NPV Value Dewas Division and Khandwa Division Rs. 18,07,13,303/- (Eighteen Crore Seven Lac Thirteen Thousand Three Hundred Three) is deposited in CAMPA head.  
Account No. 1507657139995305 dated 10/03/2022 and Account No. 1507657139995699 dated 20/04/2022 IFSC : UBIN0903710 Bank Name : Union Bank of India, Lodhi Complex Branch Block 11, CGO Complex Phase I, Lodhi Road New Delhi, 110003.  
(Amount Rs. 164735643 + Rs. 15977660 = Rs. 180713303)

शर्त क्रमांक A (6) के अनुसार CA व NPV की राशि का ऑनलाईन पोर्टल पर जनरेटेड चालान अनुसार राशि ई-पोर्टल के माध्यम से केम्पा मद में जमा कर दी गई है, विवरण निम्नानुसार है :

As per demand of PCCF (Land Management) Bhopal Letter No. F-3/102/2021/10-11/16/517 Dated 08/02/2022 and DFO Dewas Letter No. DM/2022/2048 Dated 24/03/2022, DFO Khandwa Letter no. DM/2022/818 Dated 23/02/2022. DFO Shajapur Letter No. DM/2022/756 Dated 28/02/2022 challan generated on e-portal on date 10/03/2022 and 19/04/2022. Amount (NPV Rs. 180713303/- and CA Rs. 89983194/-) Rs. 270696497/- (Twenty Seven Crore Six Lac Ninety Six Thousand Four Hundred Ninety Seven) has been deposited on dated 10/03/2022 and 20/04/2022.

Account No. 1507657139995305 dated 10/03/2022 and Account No. 1507657139995699 dated 20/04/2022 IFSC : UBIN0903710 Bank Name : Union Bank of India, Lodhi Complex Branch Block 11, CGO Complex Phase I, Lodhi Road New Delhi, 110003.

शर्त क्रमांक A (7) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर जिला देवास के पत्र क्रमांक 3646 दिनांक 07.10.2021 एवं कलेक्टर जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 5874 दिनांक 06.12.2021 से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)

शर्त क्रमांक A (8) के पालन में आवेदक संस्थान से प्राप्त वचनपत्र संलग्न है। आवेदक संस्थान अपने व्यय पर वन विभाग को वन्यजीवों एवं अन्य वानिकी कार्य हेतु जहां फिजीकली संभव होगा वहां निःशुल्क पानी उपलब्ध करायेंगे।

शर्त क्रमांक A (9) के पालन में निवेदन है कि उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले वनक्षेत्र 147.09 हेक्टेयर (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) में कोई भी नोटिफाईड टाईगर कॉरिडोर नहीं है।

शर्त क्रमांक A (10) के पालन में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में हेबीटेट मैनेजमेंट प्लान (ग्रासलेण्ड मैनेजमेंट एवं वाटरहोल) आवेदक संस्थान के व्यय पर तैयार किये जावेंगे। वन विभाग से मांगपत्र प्राप्त होने पर राशि का भुगतान किया जावेगा।

शर्त क्रमांक A (11) के अनुसार देवास वनमण्डल के संदर्भित पत्र में 26278 वृक्षों के विदोहन हेतु दर्शित राशि रू. 81,90,760/- (इक्यासी लाख नब्बे हजार सात सौ साठ मात्र) एवं खण्डवा वनमण्डल के संदर्भित पत्र में 15549 वृक्षों के विदोहन हेतु दर्शित राशि रू. 45,43,177/- (पैंतालिस लाख त्रियालिस हजार एक सौ सतहत्तर मात्र) एम.पी. ट्रेजरी के हेड 0406-01-800-0229 विविध प्राप्तियाँ में दिनांक 07.07.2022 को जमा कर दी गई है। (रसीद संलग्न है।)

शर्त क्रमांक B (3) से संबंधित एक्स्ट्रा NPV का वचन पत्र संलग्न है।

निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति में दर्शित शर्तों का पालन कर लिया गया है। अतः प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 147.090 हेक्टेयर (देवास वनमण्डल 100.101 हे. एवं खण्डवा वनमण्डल 46.989 हे.) वनभूमि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन को उपयोग पर देने एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- 1. संदर्भित पत्र 1 से 5 ।

2. ई-पोर्टल चालान।

3. पेमेण्ट रसीद।

4. एम.पी. ट्रेजरी में जमा राशि की रसीद 1 से 3।

5. FRA Certificate देवास एवं खण्डवा।

6. वैकल्पिक वृक्षारोपण की भूमि का खसरा खतौनी एवं हस्तांतरण प्रपत्र तथा कलेक्टर आदेश।

7. एक्स्ट्रा NPV का वचन पत्र।

8. टेबुलर फार्म में पालन प्रतिवेदन।

9. वन्यप्राणी प्रबंधन के भुगतान हेतु वचन पत्र।

पृ. क्रमांक / 2022 / 2499 / w / 153 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- टेबुलर फार्म में पालन प्रतिवेदन।

कार्यपालन यंत्री,  
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

सिन्हा

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

13-7

दिनांक : 11/07/2022

कार्यपालन यंत्री,  
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

11-7-2022

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

---

प्रभावित वनभूमि की नेट प्रेजेंट वेल्यू (NPV) पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त देय राशि के भुगतान हेतु वचनपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना, कालीसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) के निर्माण हेतु परियोजना में प्रभावित होने वाले कुल वनक्षेत्र 147.090 हेक्टेयर है। जिसमें से वनमंडल देवास का वनक्षेत्र 100.101 हेक्टेयर एवं वनमंडल खण्डवा का वनक्षेत्र 46.989 हेक्टेयर है। जिसकी पुनरीक्षित नेटवेल्यू की राशि का मांग पत्र प्राप्त होने पर पुनरीक्षित नेट प्रेजेंट वेल्यू की राशि नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जावेगा।



कार्यपालन यंत्री  
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

वचनपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना, कालीसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) के निर्माण हेतु परियोजना में प्रभावित होने वाले कुल वनक्षेत्र 147.090 हेक्टेयर है। जिसमें से वनमंडल देवास का वनक्षेत्र 100.101 हेक्टेयर एवं वनमंडल खण्डवा का वनक्षेत्र 46.989 हेक्टेयर है। शर्त क्रमांक A (8) के अनुसार आवेदक संस्थान अपने व्यय पर वन विभाग को वन्यजीवों एवं अन्य वानिकी कार्य हेतु जहां फिजीकली संभव होगा वहां निःशुल्क पानी उपलब्ध करायेंगे।



कार्यपालन यंत्री  
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

---

वचनपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना, कालीसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) के निर्माण हेतु परियोजना में प्रभावित होने वाले कुल वनक्षेत्र 147.090 हेक्टेयर है। जिसमें से वनमंडल देवास का वनक्षेत्र 100.101 हेक्टेयर एवं वनमंडल खण्डवा का वनक्षेत्र 46.989 हेक्टेयर है। शर्त क्रमांक A (10) के पालन में प्रस्तावित वनक्षेत्र में हेबीटेट मेनेजमेंट प्लान (ग्रासलेण्ड मेनेजमेंट एवं वाटरहोल) के अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान आवेदक संस्थान करने हेतु वचनबद्ध है।



कार्यपालन यंत्री  
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

**ISP Kalisindh Phase II Micro Lift Irrigation Project (Pipeline) in  
Dewas and Khandwa District (M.P.)**

**Proposed area for diversion – 147.090 ha  
(Dewas Division 100.101 and Khandwa Division 46.989)**

**Compliance Report**

Proposal No : FP/MP/IRRIG/139995/2021


Moef/SG File No : 6-MPA 016/2021-BHO

Stage 1 in principle number approval number : 6-MPA 016/2021-BHO Dated 07.02.2022


| S.No.    | Terms & Conditions   | Consent   |
|----------|--|---|
| <b>A</b> | <b>Condition which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department :</b>   |   |
| (1)      | The cost of compensatory afforestation on the CA land <b>151.22 ha Non-Forest land</b> at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. | As per sanction of CCF Ujjain Order no. DM/36, 37, 38, 39 and 40 Dated 07/09/2021 and demand from DFO Shajapur Letter no. DM/2022/756 Shajapur, Dated 28/02/2022 the cost of CA Rs. 8,99,83,194/- (Eight Crore Ninety Nine Lac Eighty Three Thousand One Hundred Ninety Four Only) is deposited in CAMPA head.<br>Account No.<br>1507657139995305 dated 10/03/2022<br>Rs. 8,99,83,194/- (Eight Crore Ninety Nine Lac Eighty Three Thousand One Hundred Ninety Four Only)<br>IFSC : UBIN0903710<br>Bank Name : Union Bank of India, Lodhi Complex Branch Block 11, CGO Complex Phase I, Lodhi Road New Delhi, 110003 |
| (2)      | The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department and documents shall be submitted to IRO, Bhopal.   | Proposed non-forest land for CA is mutated in favour of M.P. Forest Department and transferred to Range Shajapur Dist. Shajapur Division Shajapur. Detail as below:   |

  
**Executive Engineer**  
**N.D.Dn.No.-20**  
**MANDLESHWAR**

| S.No. | Terms & Conditions   | Consent  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
|-------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|
|       |  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="986 152 1061 481">1</td> <td data-bbox="1061 152 1455 481">Collector Order no. :<br/>04/A-19(3)/2021-22      Date<br/>02/07/2021 and Order No.<br/>06/A-20(3)/2022-23      Date<br/>18/05/2022<br/>District : Shajapur<br/>Tehsil : Mohan Badodiya<br/>Village : Mangliya<br/>Khasra No. : 72, 73, 40/3, 182,<br/>220, 736/4, 239<br/>Area : 38.71 ha.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 481 1061 631">2</td> <td data-bbox="1061 481 1455 631">Tehsil : Mohan Badodiya<br/>Village : Fawka<br/>Khasra No. : 816/1-19 and<br/>816/822<br/>Area : 39.54 ha.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 631 1061 786">3</td> <td data-bbox="1061 631 1455 786">Tehsil : Mohan Badodiya<br/>Village : Kadula<br/>Khasra No. : 2243/3, 2244,<br/>2245 and 2246<br/>Area : 21.44 ha.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 786 1061 913">4</td> <td data-bbox="1061 786 1455 913">Tehsil : Mohan Badodiya<br/>Village : Malyahedi<br/>Khasra No. : 939 and 941<br/>Area : 13.44 ha.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 913 1061 1037">5</td> <td data-bbox="1061 913 1455 1037">Tehsil : Mohan Badodiya<br/>Village : Bandahedi<br/>Khasra No. : 103, 313 and 435<br/>Area : 28.00 ha.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 1037 1061 1160">6</td> <td data-bbox="1061 1037 1455 1160">Tehsil : Mohan Badodiya<br/>Village : Roliyakhedi<br/>Khasra No. : 4/5 and 19<br/>Area : 11.00 ha.</td> </tr> </table> <p data-bbox="986 1160 1455 1205">Mutation P-II Attached</p> | 1 | Collector Order no. :<br>04/A-19(3)/2021-22      Date<br>02/07/2021 and Order No.<br>06/A-20(3)/2022-23      Date<br>18/05/2022<br>District : Shajapur<br>Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Mangliya<br>Khasra No. : 72, 73, 40/3, 182,<br>220, 736/4, 239<br>Area : 38.71 ha. | 2 | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Fawka<br>Khasra No. : 816/1-19 and<br>816/822<br>Area : 39.54 ha. | 3 | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Kadula<br>Khasra No. : 2243/3, 2244,<br>2245 and 2246<br>Area : 21.44 ha. | 4 | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Malyahedi<br>Khasra No. : 939 and 941<br>Area : 13.44 ha. | 5 | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Bandahedi<br>Khasra No. : 103, 313 and 435<br>Area : 28.00 ha. | 6 | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Roliyakhedi<br>Khasra No. : 4/5 and 19<br>Area : 11.00 ha. |
| 1     | Collector Order no. :<br>04/A-19(3)/2021-22      Date<br>02/07/2021 and Order No.<br>06/A-20(3)/2022-23      Date<br>18/05/2022<br>District : Shajapur<br>Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Mangliya<br>Khasra No. : 72, 73, 40/3, 182,<br>220, 736/4, 239<br>Area : 38.71 ha.  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 2     | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Fawka<br>Khasra No. : 816/1-19 and<br>816/822<br>Area : 39.54 ha.   |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 3     | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Kadula<br>Khasra No. : 2243/3, 2244,<br>2245 and 2246<br>Area : 21.44 ha.   |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 4     | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Malyahedi<br>Khasra No. : 939 and 941<br>Area : 13.44 ha.   |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 5     | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Bandahedi<br>Khasra No. : 103, 313 and 435<br>Area : 28.00 ha.  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 6     | Tehsil : Mohan Badodiya<br>Village : Roliyakhedi<br>Khasra No. : 4/5 and 19<br>Area : 11.00 ha.  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| (3)   | <p><b>The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927. Copy of RF/PF notification shall be submitted to this office before Stage-II approval.</b></p>   | <p>Non-forest land is mutated in favour of M.P. Forest Department. Notification is under process.</p> <p>Compliance Report will be submitted within a period and copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 will be send within the time.</p>  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| (4)   | <p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the <b>147.09 ha.</b> forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC</p> | <p>PCCF (Land Management) Bhopal Letter No. F-3/102/2021/10-11/16/517 Dated 08/02/2022 and DFO Dewas Letter No. DM/2022/2048 Dated 24/03/2022 and DFO Khandwa Letter no. DM/2022/818 Dated 23/02/2022.</p> <p>NPV Value Dewas Division and Khandwa Division Rs. 18,07,13,303/- (Eighteen Crore Seven Lac Thirteen Thousand Three Hundred Three) is deposited</p>   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |

  
 Executive Engineer  
 N.D.No.-20  
 N.D. LESHWAR

| S.No. | Terms & Conditions   | Consent  |
|-------|--|--|
|       | dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.   | in CAMPA head.<br>Account No.<br>1507657139995305<br>dated 10/03/2022 and<br>Account No. 1507657139995699<br>dated 20/04/2022<br>IFSC : UBIN0903710<br>Bank Name : Union Bank of India,<br>Lodhi Complex Branch Block 11,<br>CGO Complex Phase I, Lodhi<br>Road New Delhi, 110003<br>(Amount Rs. 164735643 + Rs.<br>15977660 = Rs. 180713303)  |
| (5)   | <b>The State Govt. shall charge NPV as per MoEF&amp;CC, New Delhi guideline No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022.</b>   | Yes. NPV is Calculated According to New Guideline.   |
| (6)   | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ). | As per demand of PCCF (Land Management) Bhopal Letter No. F-3/102/2021/10-11/16/517 Dated 08/02/2022 and DFO Dewas Letter No. DM/2022/2048 Dated 24/03/2022, DFO Khandwa Letter no. DM/2022/818 Dated 23/02/2022.<br>DFO Shajapur Letter No. DM/2022/756 Dated 28/02/2022 challan generated on e-portal on date 10/03/2022 and 19/04/2022. Amount (NPV Rs. 180713303/- and CA Rs. 89983194/-) Rs. 270696497/- (Twenty Seven Crore Six Lac Ninety Six Thousand Four Hundred Ninety Seven) has been deposited on dated 10/03/2022 and 20/04/2022.<br>Account No.<br>1507657139995305<br>dated 10/03/2022 and<br>Account No. 1507657139995699<br>dated 20/04/2022<br>IFSC : UBIN0903710<br>Bank Name : Union Bank of India,<br>Lodhi Complex Branch Block 11,<br>CGO Complex Phase I, Lodhi<br>Road New Delhi, 110003 |
| (7)   | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concern District Collector.  | FRA certificate from Collector Dewas No. 3646 Date 07/10/2021 and Collector Khandwa No. 5874 Date 06/12/2021 is obtained and copy attached.  |
| (8)   | <b>The user agency shall provide water for wild animals and other forestry uses as per requirement of Forest Department on the cost</b>  | User agency will provide water to Forest Department wherever it will be possible on  |

  
**Executive Engineer**  
**N.D.Dn.No. 320**  
**HANDESHWAR**

| S.No. | Terms & Conditions  | Consent   |
|-------|---|---|
|       | <i>of user agency / free of cost wherever technically feasible.</i>   | the cost of user agency.  |
| (9)   | <i>The user Agency shall obtain approval from concerned Wildlife Authority (CWLW/ NTCA), as applicable, for that area which falls in Tiger Corridor.</i>  | As per available document and information the proposed area is dose not include any notified Tiger Corridor. Opinion from CWLW is obtained.                 |
| (10)  | <i>The Forest Department shall prepare habitat management plan (Grassland management and water holes) in Tiger Corridor Area at the cost of User Agency.</i>  | User Agency will make the payment as per the demand of Forest Department. (Undertaking attached)  |
| (11)  | <i>The State Govt. &amp; User Agency shall ensure that felling of trees shall be restricted to the minimum as per actual requirement to be felled.</i>  | In proposed area of Dewas District number of trees 26278 and Khandwa District 15549 total number 41827 is marked. Tree will be felled by Forest Department. |
| (12)  | <i>The User Agency shall ensure that the CA land given is free from encumbrances and encroachments.</i>   | Yes. CA land is free from encumbrances and encroachments.   |
| (13)  | The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.  | Uploaded.   |
| (14)  | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter I of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28-03-2019. | NA  |
| (15)  | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )   | Compliance report in prescribed tabular form is uploaded.   |
| (B)   | <b>Condition which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval :</b>  |   |
| (1)   | Legal status of the forest land shall remain unchanged.   | Agree.  |

  
 Executive Engineer  
 N.D.No.-20  
 MANDLESHWAR

| S.No.                  | Terms & Conditions  | Consent   |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
|------------------------|---|---|------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|---|-------------------------------|----------|--|--|-------|---|------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|-------|-------|----------|-------|---|--------------------------------|--------|---------|--|-------|---|----------|-----------|--|--|-------|--|---------------|-----------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|------------------|---|
| (2)                    | <p>Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over <b>151.22 ha Non-forest land</b> at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.</p> <p><b>Details of CA area as follows :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Khasra No.</th> <th>Village</th> <th>Tehsil</th> <th>District</th> <th>Non-forest land CA (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>72, 73, 46/3, 182, 220, 285/4</td> <td>Mangliya</td> <td></td> <td></td> <td>44.76</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>736/4, 239</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39.54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>816/1 to 816/19, 816/822</td> <td>Fakka</td> <td>Mohan</td> <td>Shajapur</td> <td>25.48</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247</td> <td>Kadula</td> <td>Badodiy</td> <td></td> <td>13.44</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>939, 941</td> <td>Majyahedi</td> <td></td> <td></td> <td>28.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>103, 313, 435</td> <td>Bandahedi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>TOTAL AREA (Ha)</b></td> <td><b>151.22 Ha</b></td> </tr> </tbody> </table> | No  | Khasra No. | Village  | Tehsil                  | District | Non-forest land CA (ha) | 1 | 72, 73, 46/3, 182, 220, 285/4 | Mangliya |  |  | 44.76 | 2 | 736/4, 239 |  |  |  | 39.54 | 3 | 816/1 to 816/19, 816/822 | Fakka | Mohan | Shajapur | 25.48 | 4 | 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247 | Kadula | Badodiy |  | 13.44 | 5 | 939, 941 | Majyahedi |  |  | 28.00 |  | 103, 313, 435 | Bandahedi |  |  |  | <b>TOTAL AREA (Ha)</b> |  |  |  |  | <b>151.22 Ha</b> | Compensatory afforestation will be done by Forest Department as per Technical sanction of CCF Ujjain. (Detail Enclosed) |
| No                     | Khasra No.  | Village   | Tehsil     | District | Non-forest land CA (ha) |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| 1                      | 72, 73, 46/3, 182, 220, 285/4   | Mangliya  |            |          | 44.76                   |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| 2                      | 736/4, 239  |   |            |          | 39.54                   |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| 3                      | 816/1 to 816/19, 816/822  | Fakka   | Mohan      | Shajapur | 25.48                   |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| 4                      | 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247  | Kadula  | Badodiy    |          | 13.44                   |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| 5                      | 939, 941  | Majyahedi   |            |          | 28.00                   |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
|                        | 103, 313, 435   | Bandahedi   |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| <b>TOTAL AREA (Ha)</b> |   |   |            |          | <b>151.22 Ha</b>        |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (3)                    | Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.  | Agree. Undertaking Attached.  |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (4)                    | The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.   | Agree.  |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (5)                    | The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.   | Agree.  |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (6)                    | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.  | Environmental Clearance is already obtained on date 08/11/2021 File No. 7044/ 2020.   |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (7)                    | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.  | The boundary of the diverted forest land will be demarcated on ground by user agency as per direction of Forest Department. |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (8)                    | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.  | Agree.  |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (9)                    | No labour camp shall be established on the forest land.   | Agree.  |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (10)                   | The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.  | Agree.  |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |
| (11)                   | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.   | Agree.  |            |          |                         |          |                         |   |                               |          |  |  |       |   |            |  |  |  |       |   |                          |       |       |          |       |   |                                |        |         |  |       |   |          |           |  |  |       |  |               |           |  |  |  |                        |  |  |  |  |                  |   |

  
**Executive Engineer**  
**N.D. Dr. No.-20**  
**MANDLESHWAR**

| S.No. | Terms & Conditions  | Consent |
|-------|---|---------|
| (12)  | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.  | Agree.  |
| (13)  | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.                  | Agree.  |
| (14)  | Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife. | Agree.  |



**Executive Engineer**  
**NVDA Division 20**  
**Mandleshwar, Distt. Khargone (MP)**

कालीसिंध फेस ॥ माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए  
आवंटित गैर वनभूमि का विवरण

कलेक्टर जिला शाजापुर का आदेश क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 दिनांक 02.07.2021 एवं  
आदेश क्रमांक 06/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 18.05.2022

जिला : शाजापुर

तहसील : मोहन बड़ोदिया


| क्र.     | ग्राम    | सर्वे<br>क्रमांक | कुल<br>रकबा<br>(रकबा<br>हेक्टेयर<br>में) | आवंटित<br>रकबा<br>(रकबा<br>हेक्टेयर<br>में) | हस्तांतरित<br>रकबा<br>(रकबा<br>हेक्टेयर<br>में) | रिमारक                  |
|----------|----------|------------------|--|---|---|-------------------------|
| 1        | मांगलिया | 72               | 5.96                                     | 5.96  | 5.96  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 73               | 7.77                                     | 7.77  | 7.77  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 40/3             | 2.00                                     | 2.00  | 2.00  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 182              | 6.15                                     | 6.15  | 6.15  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 220              | 6.58                                     | 6.58  | 5.58  | 1 हेक्टेयर अनुपयुक्त    |
|          |          | 285/4            | 2.05                                     | 2.05  | 0.00  | 2.05 हेक्टेयर अनुपयुक्त |
|          |          | 736/4            | 2.25                                     | 2.25  | 2.25  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 239              | 14.00                                    | 12.00                                       | 9.00  | 3 हेक्टेयर अनुपयुक्त    |
| कुल रकबा |          |                  |  | <b>44.76</b>                                | <b>38.71</b>                                    |                         |
| 2        | फावका    | 816/1            | 0.63                                     | 0.63  | 0.63  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/2            | 2.00                                     | 2.00  | 2.00  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/3            | 2.00                                     | 2.00  | 2.00  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/4            | 2.00                                     | 2.00  | 2.00  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/5            | 2.00                                     | 2.00  | 2.00  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/6            | 1.26                                     | 1.26  | 1.26  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/7            | 2.00                                     | 2.00  | 2.00  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/8            | 2.00                                     | 2.00  | 2.00  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/9            | 0.70                                     | 0.70  | 0.70  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/10           | 1.47                                     | 1.47  | 1.47  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/11           | 1.69                                     | 1.69  | 1.69  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/12           | 1.49                                     | 1.49  | 1.49  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/13           | 1.20                                     | 1.20  | 1.20  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/14           | 0.49                                     | 0.49  | 0.49  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/15           | 1.64                                     | 1.64  | 1.64  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |
|          |          | 816/16           | 1.20                                     | 1.20  | 1.20  | भूमि हस्तांतरित की गई।  |



Executive Engineer  
N.D.Dn.No.-20  
MANDLESHWAR

| क्र. | ग्राम                      | सर्वे क्रमांक | कुल रकबा (रकबा हेक्टेयर में) | आवंटित रकबा (रकबा हेक्टेयर में) | हस्तांतरित रकबा (रकबा हेक्टेयर में) | रिमार्क                                      |
|------|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
|      |                            | 816/17        | 0.63                         | 0.63                            | 0.63                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 816/18        | 2.00                         | 2.00                            | 2.00                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 816/19        | 23.96                        | 12.00                           | 12.00                               | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 816/822       | 1.14                         | 1.14                            | 1.14                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      | <b>कुल रकबा</b>            |               |                              | <b>39.54</b>                    | <b>39.54</b>                        |  |
| 3    | कडूला                      | 2243/3        | 4.82                         | 4.82                            | 4.82                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 2244          | 3.37                         | 3.37                            | 3.37                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 2245          | 5.75                         | 5.75                            | 5.75                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 2246          | 10.50                        | 7.50                            | 7.50                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 2247          | 6.04                         | 4.04                            | 0.00                                | भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण निरस्त की गई। |
|      | <b>कुल रकबा</b>            |               |                              | <b>25.48</b>                    | <b>21.44</b>                        |  |
| 4    | माल्याहेडी                 | 939           | 6.62                         | 6.62                            | 6.62                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 941           | 28.85                        | 6.82                            | 6.82                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      | <b>कुल रकबा</b>            |               |                              | <b>13.44</b>                    | <b>13.44</b>                        |  |
| 5    | बाण्डाहेडी                 | 103           | 11.11                        | 11.11                           | 11.11                               | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 313           | 13.89                        | 13.89                           | 13.89                               | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 435           | 7.35                         | 3.00                            | 3.00                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      | <b>कुल रकबा</b>            |               |                              | <b>28.00</b>                    | <b>28.00</b>                        |  |
| 6    | रोल्याखेड़ी                | 4/5           | 6.73                         | 6.73                            | 6.73                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      |                            | 19            | 4.27                         | 4.27                            | 4.27                                | भूमि हस्तांतरित की गई।                       |
|      | <b>कुल रकबा</b>            |               |                              | <b>11.00</b>                    | <b>11.00</b>                        |  |
|      | <b>हस्तांतरित कुल रकबा</b> |               |                              | <b>151.22</b>                   | <b>141.13</b>                       |  |

  
 Executive Engineer  
 N.D.Dn.No.-20  
 MANDLESHWAR

**AGENCY COPY**


  
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 19-04-2022

|                  |   |
|------------------|---|
| Agency Name.     | EE ND DIVISION NO TWENTY MANDLESHWAR                        |
| Application No.  | 57139995699   |
| MoEF/SG File No. | 6-MPA016/2021-BHO   |
| Location.        | MADHYA PRADESH  |
| Address.         | Narmada Development Division number 20 MandleshwarKhargaone |
| Amount(in Rs)    | 15977660/-  |


Amount in Words :One Crore Fifty-Nine Lakh Seventy-Seven Thousand Six Hundred and Sixty Rupees Only



**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Beneficiary Name:    | MADHYA PRADESH CAMPA  |
| IFSC Code:           | UBIN0903710   |
| Pay to Account No.   | 1507657139995699<br><b>Valid only for this challan amount.</b>  |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**BANK COPY**


  
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 19-04-2022

|                  |  |
|------------------|--|
| Agency Name.     | EE ND DIVISION NO TWENTY MANDLESHWAR                         |
| Application No.  | 57139995699  |
| MoEF/SG File No. | 6-MPA016/2021-BHO  |
| Location.        | MADHYA PRADESH   |
| Address:         | Narmada Development Division number 20 Mandleshwar Khargaone |
| Amount(in Rs)    | 15977660/-   |

Amount in Words :One Crore Fifty-Nine Lakh Seventy-Seven Thousand Six Hundred and Sixty Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**


|                      |   |
|----------------------|---|
| Beneficiary Name:    | MADHYA PRADESH CAMPA  |
| IFSC Code:           | UBIN0903710   |
| Pay to Account No.   | 1507657139995699<br><b>Valid only for this challan amount.</b>  |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |



• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

**Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)

**AGENCY COPY**


  
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 10-03-2022

|                  |   |
|------------------|---|
| Agency Name.     | EE ND DIVISION NO<br>TWENTY MANDLESHWAR                           |
| Application No.  | 57139995305   |
| MoEF/SG File No. | 6-MPA016/2021-BHO   |
| Location.        | MADHYA PRADESH  |
| Address.         | Narmada Development<br>Division number 20<br>MandleshwarKhargaone |
| Amount(in Rs)    | 270696497/-   |


**Amount in Words** :Twenty-Seven Crore Six Lakh Ninety-Six Thousand Four Hundred and Ninety-Seven Rupees Only



**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name:    | MADHYA PRADESH CAMPA   |
| IFSC Code:           | UBIN0903710  |
| Pay to Account No.   | 1507657139995305<br><b>Valid only for this challan amount.</b>   |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**BANK COPY**


  
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 10-03-2022

|                  |  |
|------------------|--|
| Agency Name.     | EE ND DIVISION NO<br>TWENTY MANDLESHWAR                            |
| Application No.  | 57139995305  |
| MoEF/SG File No. | 6-MPA016/2021-BHO  |
| Location.        | MADHYA PRADESH   |
| Address:         | Narmada Development<br>Division number 20<br>Mandleshwar Khargaone |
| Amount(in Rs)    | 270696497/-  |

**Amount in Words** :Twenty-Seven Crore Six Lakh Ninety-Six Thousand Four Hundred and Ninety-Seven Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name:    | MADHYA PRADESH CAMPA   |
| IFSC Code:           | UBIN0903710  |
| Pay to Account No.   | 1507657139995305<br><b>Valid only for this challan amount.</b>   |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

**Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to  
Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)

EXECUTIVE ENGINEER NO.20 MANDLESHWAR  
Khargone,  
Madhya Pradesh-451001

**Payment Order List**  
**EXECUTIVE ENGINEER NO.20 MANDLESHWAR**

Report Run Date: 20/04/2022 13:18:22

Date From: 20/04/2022 To : 20/04/2022

Logged In User: Mr. TIKARAM PACHORE(Executive Engineer)

Server Name: DCDBSRV3\_Managed\_3

Report Generated Time: 20/04/2022 13:20:33

| Sr.No   | Party Code    | Party Name                               | Voucher No                 | Date of Payment | Amount Paid    | IFSC Code   | Account No       | Payment Mode | Bill Ref No         | Advice No                      | Cheque No  | Efile UTR No NO |
|---|---------------|--|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 2202702040 : EXECUTIVE ENGINEER NO.20 MANDLESHWAR >> UNION BANK OF INDIA >> NEW DELHI LODHI COMPLEX |               |  |                            |                 |                |             |                  |              |                     |                                |            |                 |
| 1   | 2000251507358 | Madhya Pradesh<br>CAMPA<br>Forest Bhopal | 220/4700<br>042022-23/0072 | 20/04/2022      | 1,59,77,660.00 | UBIN0903710 | 1507657139995699 | E-Payment    | WorkID/200012328129 | 2202702040/042022-23<br>/E0038 | W220533702 | null -          |
| Total   |               |  |                            |                 | 1,59,77,660.00 |             |                  |              |                     |                                |            |                 |
| Total   |               |  |                            |                 | 1,59,77,660.00 |             |                  |              |                     |                                |            |                 |

EXECUTIVE ENGINEER NO.20 MANDLESHWAR  
Khargone,  
Madhya Pradesh-451001

**Payment Order List**  
**EXECUTIVE ENGINEER NO.20 MANDLESHWAR**

Report Run Date: 15/03/2022 16:36:24

Date From: 10/03/2022 To : 15/03/2022

Logged In User: Mr. TIKARAM PACHORE(Executive Engineer)

Server Name: IFMISAPI\_Managed\_2

Report Generated Time: 15/03/2022 16:35:44

| Sr.No   | Party Code    | Party Name                 | Voucher No                  | Date of Payment | Amount Paid            | IFSC Code   | Account No       | Payment Mode | Bill Ref No         | Advice No                      | Cheque No  | Efile No                 | UTR NO           |
|---|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| 2242702010 ; EXECUTIVE ENGINEER NO.20 MANDLESHWAR >> UNION BANK OF INDIA >> NEW DELHI LODHI COMPLEX |               |                            |                             |                 |                        |             |                  |              |                     |                                |            |                          |                  |
| 1   | 2000247950499 | MADHYA<br>PRADESH<br>CAMPA | 224/4700<br>/032021-22/0137 | 10/03/2022      | 25,47,18,837.00        | UBIN0903710 | 1507657139995305 | E-Payment    | WorkID/200011878610 | 2242702010/032021-22<br>/E0012 | W224503895 | SBIN_220_000305_10032022 | SBIN222070501834 |
| <b>Total</b>  |               |                            |                             |                 | <b>25,47,18,837.00</b> |             |                  |              |                     |                                |            |                          |                  |
| <b>Total</b>  |               |                            |                             |                 | <b>25,47,18,837.00</b> |             |                  |              |                     |                                |            |                          |                  |

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



| Sno. | Proposal Detail  | Application_No     | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)  | Payment Status | Payment Detail   | Demand Letter  |
|------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|--|--|
| 1    | FP/MP/IRRIG/153070/2022<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/MP/IRRIG/153070/2022)<br><br>Pipeline to DC of ISP Kalisindh Phase II Micro Lift Irrigation Project | IRRIG1530702022315 | 57153070315          | 11 May 2022          | CA: 860000/-<br>Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/-, CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/-<br>NPV: 871580/-<br>Other Charges 0/-<br>Other Charges1 0/-<br>Other Charges2 0/-<br>Other Charges3 0/-<br>Total : 1731580/-  | ✓ Paid         | Fund Demand Verified by Nodal Officer On<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 22 Jun 2022<br>Transaction Date : 24 Jun 2022 | Demand Letter<br>(./writereaddata/Fundpdf/220620220807400783_FPMPIRRIG153070)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=IRRIG153070) |
| 2    | FP/MP/IRRIG/139995/2021<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/MP/IRRIG/139995/2021)<br><br>ISP KALISINDH PHASE-II MICRO LIFT IRRIGATION PROJECT SCHEME (PIPELINE) | IRRIG1399952021699 | 57139995699          | 07 Feb 2022          | CA: 0/-, Addl CA 0/-<br>PCA: 0/-, CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/-<br>NPV: 15977660/-<br>Other Charges 0/-<br>Other Charges1 0/-<br>Other Charges2 0/-<br>Other Charges3 0/-<br>Total : 15977660/-          | ✓ Paid         | Fund Demand Verified by Nodal Officer On<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 19 Apr 2022<br>Transaction Date : 21 Apr 2022 | Demand Letter<br>(./writereaddata/Fundpdf/190420221503548026_FPMPIRRIG139995)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=IRRIG139995) |
| 3    | FP/MP/IRRIG/139995/2021<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/MP/IRRIG/139995/2021)<br><br>ISP KALISINDH PHASE-II MICRO LIFT IRRIGATION PROJECT SCHEME (PIPELINE) | IRRIG1399952021305 | 57139995305          | 07 Feb 2022          | CA: 89983194/-, Addl CA 0/-<br>PCA: 0/-, CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/-<br>NPV: 180713303/-<br>Other Charges 0/-<br>Other Charges1 0/-<br>Other Charges2 0/-<br>Other Charges3 0/-<br>Total : 270696497/- | ✓ Paid         | Fund Demand Verified by Nodal Officer On<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 09 Mar 2022<br>Transaction Date : 11 Mar 2022 | Demand Letter<br>(./writereaddata/Fundpdf/090320221709321979_FPMPIRRIG139995)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=IRRIG139995) |



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



Department of Finance , Government of Madhya Pradesh  
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment  
to M.P. State Government



|   |   |
|---|---|
| TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No. | -   |
| Depositor/Dealer Name   | EE NVDA DIVISION TWEN   |
| Address   | FP/MP/IRRIG/139995/2, 14709, MANDALESWAR, Khargone, Madhya Pradesh - 451221 |
| District selected for Payment   | Dewas   |
| Unique Registration Number (URN)  | MPTURN070720220005138   |
| Department and Office Name  | Common Challan Entry,   |
| Challan Payment Period  | 2022-2023   |

Purpose Details

| CRN                   | Assessment/<br>Concerning<br>Period | Head of Account                                   | Challan Identification Number<br>(CIN) | Challan No.                   | Amount(Rs.) |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------|
| MPT040607072022000165 | 2022-07-07 to<br>2022-07-14         | 0406-01-800-0229<br>( Miscellaneous<br>receipts ) | SBIN0006159040607072022733315          | 051/9999999/0406/07/22/000472 | 8190760.00  |

|   |   |
|---|---|
| Total Amount(in figures)                                  | 81,90,760.00  |
| Total Amount(in words)                                    | Eighty One Lakh Ninety Thousand Seven Hundred Sixty Rupees Only |
| Name and Code of the Bank                                 | STATE BANK OF INDIA (2)   |
| Bank Reference Number                                     | CKU1397033  |
| Scroll No   | 73330   |
| Scroll Date   | 07/07/2022  |
| Date of Transaction / Time of Transaction<br>(HH24:mm:ss) | 07/07/2022 16:31:05   |
| Transaction Status  | Success   |



Department of Finance , Government of Madhya Pradesh  
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment  
to M.P. State Government



|   |   |
|---|---|
| TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No. | -   |
| Depositor/Dealer Name   | EE NVDA DIVISION TWEN   |
| Address   | FP/MP/IRRIG/139995/2, 14709, MANDALESWAR, Khargone, Madhya Pradesh - 451221 |
| District selected for Payment   | Khandwa   |
| Unique Registration Number (URN)  | MPTURN070720220005087   |
| Department and Office Name  | Common Challan Entry,   |
| Challan Payment Period  | 2022-2023   |

Purpose Details

| CRN                   | Assessment/<br>Concerning<br>Period | Head of Account                                   | Challan Identification Number<br>(CIN) | Challan No.                   | Amount(Rs.) |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------|
| MPT040607072022000161 | 2022-07-07 to<br>2022-07-14         | 0406-01-800-0229<br>( Miscellaneous<br>receipts ) | SBIN0006159040607072022733134          | 051/9999999/0406/07/22/000470 | 4543177.00  |

|   |  |
|---|--|
| Total Amount(in figures)                                  | 45,43,177.00   |
| Total Amount(in words)                                    | Forty Five Lakh Forty Three Thousand One Hundred Seventy Seven Rupees Only |
| Name and Code of the Bank                                 | STATE BANK OF INDIA (2)  |
| Bank Reference Number                                     | CKU1395868   |
| Scroll No   | 73311  |
| Scroll Date   | 07/07/2022   |
| Date of Transaction / Time of Transaction<br>(HH24:mm:ss) | 07/07/2022 16:28:12  |
| Transaction Status  | Success  |



Department of Finance , Government of Madhya Pradesh  
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment  
to M.P. State Government



|   |   |
|---|---|
| TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No. | -   |
| Depositor/Dealer Name   | EE NVDA DIVISION TWEN   |
| Address   | FP/MP/IRRIG/139995/2, 14709, MANDALESWAR, Khargone, Madhya Pradesh - 451221 |
| District selected for Payment   | Shajapur  |
| Unique Registration Number (URN)  | MPTURN070720220005022   |
| Department and Office Name  | Common Challan Entry,   |
| Challan Payment Period  | 2022-2023   |

Purpose Details

| CRN                   | Assessment/<br>Concerning<br>Period | Head of Account                                   | Challan Identification Number<br>(CIN) | Challan No.                   | Amount(Rs.) |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------|
| MPT040607072022000156 | 2022-07-07 to<br>2022-07-14         | 0406-01-800-0229<br>( Miscellaneous<br>receipts ) | SBIN0006159040607072022732820          | 051/9999999/0406/07/22/000466 | 8998320.00  |

|   |   |
|---|---|
| Total Amount(in figures)                                  | 89,98,320.00  |
| Total Amount(in words)                                    | Eighty Nine Lakh Ninety Eight Thousand Three Hundred Twenty Rupees Only |
| Name and Code of the Bank                                 | STATE BANK OF INDIA (2)   |
| Bank Reference Number                                     | CKU1394174  |
| Scroll No   | 73281   |
| Scroll Date   | 07/07/2022  |
| Date of Transaction / Time of Transaction<br>(HH24:mm:ss) | 07/07/2022 16:23:29   |
| Transaction Status  | Success   |

FORM-I

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Khandwa.

No. 5814

Dated: 06/12/2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with letter MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 46.989 Ha of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Narmada Development Division 20, Mandleshwar, Distt. Khargone for ISP Kalisindh Phase II Micro Lift Irrigation Scheme (Pipe Line) in Khandwa and Dewas district falls within jurisdiction of District Khandwa Tehsil Punasa Village Bankapalas (Abundant).

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 46.989 Ha of forest area proposed for diversion.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it. (NOT APPLICABLE)
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal groups and pre agricultural communities

End:- As Above

Signature

(Full name and the seal of the District Collector)  
COLLECTOR  
KHANDWA - M.P.

FORM-I

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Dewas.

No. 3646

Dated: 2-10-21

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no 11-9/98 FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with letter MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 100.101 Ha of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Narmada Development Division 20, Mandleshwar, Distt. Khargone for ISP Kallsindh Phase II Micro Lift Irrigation Scheme (Pipe Line) in Khandwa and Dewas district falls within jurisdiction of District Dewas Tehsil Bagali Village Boranya, Devasya, Bajrang garh and Gadiya, Tehsil Satwas Village Tumri Kheda, Dehri, Singladeh and Kharadi, Tehsil Udāy Nagar Village Bor Khalya, Piplya Khari, Rupalipura.

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.101 Ha of forest area proposed for diversion.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it. (NOT APPLICABLE)
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal groups and pre agricultural communities

Encl:- As Above

(Full name and the seal of the District Collector)



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

ई-मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

क्रमांक/माचि/2022/756  
प्रति,

शाजापुर, दिनांक 28.02.22

कार्यपालन यंत्री,  
नर्मदा विकास संभाग क्र. 20

मण्डलेश्वर जिला खरगौन (म.प्र.)

विषय :- जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-II के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टेयर वन भूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमंडल देवास की 100.101 हे) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगौन को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र./FN0.-6-MPA 016/2021-BHO दिनांक 07.02.2022  
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ-3/102/2021/10-11/16/517 दिनांक 08.02.2022 एवं 525 दि. 09.02.22

- 0 -

विषयांकित संदर्भ में लेख हैं कि जिला खरगौन एवं जिला देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-II के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टेयर वन भूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमंडल देवास की 100.101 हे) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन को उपयोग पर देने के प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश प्रकरण क्र. 04/अ-19(3)/2021-22 दिनांक 02.07.2021 से ग्राम मांगलिया तहसील मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर की रकबा 44.76 हेक्टेयर, ग्राम फावका की 39.54 हेक्टेयर, ग्राम कडुला की 25.48 हेक्टेयर, ग्राम माल्याहेड़ी की 13.44 हेक्टेयर एवं ग्राम बाण्डाहेड़ी की 28.00 हेक्टेयर कुल विभाग को हस्तांतरित 151.22 हेक्टेयर भूमि की निर्देशानुसार 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है :-

| क्र. | योजना का नाम                            | वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम | खसरा नंबर                                | रकबा हे. में               | कुल प्रस्तावित राशि | वृक्षारोपण की कुल लागत राशि | पर्यवेक्षण शुल्क | मु.व.सं. उज्जैन की तकनीकी स्वी. क्र./दि. |
|------|---|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 1    | आई.एस.पी कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-II | मांगलिया                  | 72, 73, 40/3, 182, 220,285/4, 736/4, 239 | 44.76 (कार्य योग्य 44 हे.) | 31307108            | 28461008                    | 2846101          | 36 / 07.09.21                            |
| 2    |   | फावका                     | 816/1 से 19, 816/822                     | 39.54 (कार्य योग्य 39 हे.) | 23709077            | 21553706                    | 2155371          | 37 / 07.09.21                            |
| 3    |   | कडुला                     | 2243/3, 2224, 2245, 2246, 2247           | 25.48 (कार्य योग्य 25 हे.) | 15437247            | 14033861                    | 1403386          | 38 / 07.09.21                            |
|      |   | माल्याहेड़ी               | 939, 941                                 | 13.44 (कार्य योग्य 13 हे.) | 8529093             | 7753721                     | 775372           | 39 / 07.09.21                            |
|      |   | बाण्डाहेड़ी               | 103, 313, 435                            | 28.00 (कार्य योग्य 27 हे.) | 19998988            | 18180898                    | 1818090          | 40 / 07.09.21                            |
|      | योग                                     |                           |  |                            | 98981513            | 89983194                    | 8998320          |  |

//2//

उपरोक्त स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की लागत राशि कुल रूपये 89983194/- (आठ करोड़ निम्नानवे लाख तिरयासी हजार एक सौ चौरानवे रु. मात्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में राशि जमा की जावे तथा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 8998320/- (नवासी लाख अन्ठानवे हजार तीन सौ बीस रु0 मात्र) राज्य की राजस्व मद "0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियां, (0229) विविध प्राप्तियां मद में एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा की जाकर चालान अथवा डी.डी. इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलधिकारी  
वनमंडल शाजापुर

क्रमांक/माचि/2022/ 757

शाजापुर, दिनांक 2.2.22

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी शाजापुर की ओर भेजकर लेख किया जाता है कि कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा आदेश दिनांक 02.07.2021 से हस्तांतरित ग्राम मांगलिया, फावका, कडुला, माल्याहेड़ी, बाण्डाहेड़ी तहसील मो.बड़ोदिया की 151.22 हे. गैर वनभूमि का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही कर शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमंडलधिकारी  
वनमंडल शाजापुर

९

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फ़ैक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfoL.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./कालीसिंध-2/2022/ 818

खंडवा, दिनांक 23-2

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,  
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20  
मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.)

विषय :- जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टेयर वनभूमि (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे0) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का क्रमांक/6-MPA 016/2021-BHO दिनांक 07.02.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/102/2021-10-11/16/517 दि. 08.02.2022 एवं 525 भोपाल दिनांक 09.02.2022 कार्यालयीन पत्र क्रमांक 673 दिनांक 15.02.2022

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टेयर वनभूमि वनमण्डल खण्डवा सामान्य की 46.989 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित द्वारा सैध्दांतिक सहमति प्रदान की गई है, जिसकी छायाप्रति संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गई वनमण्डल खण्डवा सामान्य के अंतर्गत प्रभावित वृक्षों की मार्किंग एवं विदोहन व्यय की 45,43,177/- रूपयें (अक्षरी पैतालीस लाख तिरतालिस हजार एक सौ सतोत्तर वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर भारत सरकार द्वारा जारी शर्तों का पालन प्रतिवेदन शर्तवार अपलोड कर प्रतिवेदन शीघ्र करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी,  
सामान्य वनमंडल ख

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./कालीसिंध-2/2022/ 819  
प्रतिलिपि :-

खंडवा, दिनांक

1- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,  
सामान्य वनमंडल ख



—:: न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) ::—

प्र.क्र. 06/अ-20(3)/2022-23



मो.बडोदिया तहसील के ग्राम रोल्याखेडी में आई.एस.पी. कालीसिंध (द्वितीय चरण) माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि हस्तांतरण बाबत।

:: आदेश ::

(दिनांक 18/05/2022 को पारित)

1- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर पत्र क्रमांक/मा.वि./2022/1029 शाजापुर दिनांक 21.03.2022 से अवगत कराया कि कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 से जिला खण्डवा एवं देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध द्वितीय चरण माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 147.090 हेक्टर वन भूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हेक्टर एवं वनमंडल देवास की 100.101 हेक्टर) में प्रभावित होने वाली वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल 151.22 हेक्टर राजस्व भूमि हस्तांतरण की गई, जिसमें से 141.130 हेक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। ग्राम मांगलिया के आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक 220 में से 1.000 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 285/4 में से 2.05 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 239 में से 3.000 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी तथा ग्राम कड़ूला की भूमि सर्वे क्रमांक 2247 की हस्तांतरित रकबा 4.04 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी इस प्रकार कुल भूमि 10.09 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पायी गई। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा समतुल्य गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है। रकबा 10.09 हेक्टर गैर वनभूमि की आवश्यकता है, इस हेतु ग्राम रोल्याखेडी तहसील मो.बडोदिया के सर्वे क्रमांक 4/5 रकबा 6.73 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 4.27 हेक्टर गैर वनभूमि (कुल रकबा 11.00 हेक्टर) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की जाने की मांग की गई। नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रारूप-दो सहित ग्राम रोल्याखेडी तहसील मो.बडोदिया के सर्वे क्रमांक 4/5 रकबा 6.73 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 4.27 हेक्टर गैर वनभूमि (कुल रकबा 11.00 हेक्टर) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

2- प्रकरण विधिवत शीर्ष अ-20(3) में दर्ज किया जाकर म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी मप्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में निहित नवीन प्रावधानों के तहत प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 05.05.2022 को आयोजित की गई।

3- जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा बैठक में नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम रोल्याखेडी तहसील मो. बडोदिया के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 4/5 रकबा 6.73 हेक्टर नोईयत गैर मुमकिन बर्डी शासकीय एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 4.27 हेक्टर नोईयत शासकीय खसरा वर्ष 2022-23 में अंकित है, को कुल कित्ता 02 कुल रकबा 11.00 हेक्टर गैर वनभूमि को भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माईको उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन

  
कलेक्टर  
जिला शाजापुर (म.प्र.)



भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्व सहमति से लिया गया तथा कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 से जिला खण्डवा एवं देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध द्वितीय चरण माईको उद्दवहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 147.090 हेक्टर वन भूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हेक्टर एवं वनमंडल देवास की 100.101 हेक्टर) में प्रभावित होने वाली वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु कुल 151.22 हेक्टर राजस्व भूमि हस्तांतरण की गई, जिसमें से 141.130 हेक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। ग्राम मांगलिया के आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक 220 में से 1.000 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 285/4 में से 2.05 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 239 में से 3.000 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी तथा ग्राम कडूला की भूमि सर्वे क्रमांक 2247 की हस्तांतरित रकबा 4.04 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी इस प्रकार कुल भूमि 10.09 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पायी गई, का आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनुपर्युक्त पायी भूमि को पूर्ववत मद में दर्ज किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्व सहमति से लिया गया।

4- अतः म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत सक्षम प्राधिकारी-जिला नजूल निर्वर्तन समिति की स्वीकृति उपरांत ग्राम मांगलिया के आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक 220 में से 1.000 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 285/4 में से 2.05 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 239 में से 3.000 हेक्टर भूमि तथा ग्राम कडूला की भूमि सर्वे क्रमांक 2247 की हस्तांतरित रकबा 4.04 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी इस प्रकार कुल भूमि 10.09 हेक्टर भूमि जो अनुपर्युक्त पायी गई, का आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनुपर्युक्त पायी भूमि को पूर्ववत मद में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा मो.बडोदिया तहसील के ग्राम रोल्याखेडी में आई.एस.पी. कालीसिंध (द्वितीय चरण) माईको उद्दवहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु भूमि जिसे नक्शा में दर्शाया गया है, को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के तहत उसकी वर्तमान मद से कम किया जाकर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 17 के तहत निम्नानुसार निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है :-

| स.क्र.          | ग्राम      | सर्वे क्रमांक | कुल रकबा (रकबा हेक्टर में) | मद                 | हस्तांतरित रकबा (रकबा हेक्टर में) |
|-----------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1               | 2          | 3             | 4                          | 5                  | 7                                 |
| 1               | रोल्याखेडी | 4/5           | 6.73                       | गै.मु.ब.<br>शासकीय | 6.73                              |
|                 |            | 19            | 4.27                       | शासकीय             | 4.27                              |
| कुल आवंटित रकबा |            |               |                            |                    | 11.00                             |

5- तहसीलदार मो.बडोदिया आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की पृविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा वन विभाग को हस्तांतरित भूमि का कब्जा सौंप कर, कब्जा रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाये।

यह आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(दिनेश जैन)  
कलेक्टर  
जिला शाजापुर(मोप्रो)



पृष्ठांकन क्रमांक/रीडर-एक/2022/478  
प्रतिलिपि:-

शाजापुर दिनांक 18/05/2022

- 1- प्रमुख राजस्व आयुक्त मप्र शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाजापुर।
- 4- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन।
- 5- तहसीलदार तहसील मो.बडोदिया की ओर आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है की कब्जा रिपोर्ट, अमलशुदा खसरा, नक्शा एवं कब्जा प्राप्ति रसीद सहित 07 दिवस में इस न्यायालय को भिजवाये।
- 6- मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एस-2 टेक्नोकॉट इंडस्ट्रीयल स्टेट बालानगर हेदराबाद की ओर सूचनार्थ।

  
कलेक्टर  
जिल्ला शाजापुर (म.प्र.)

—:: न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) ::—

प्रकरण क्रमांक

04/अ-19(3)/2021-22



मो.बडोदिया तहसील के ग्राम मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी एवं बाण्डाहेडी में आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु राजस्व भूमि हस्तांतरण बाबत।

आदेश

(दिनांक 02/07/2021 को पारित)

1- प्रकरण का विवरण यह है कि कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा अवगत कराया कि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित लगभग रकबा 150 हेक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तित की जाना प्रस्तावित है, जिसके व्यपवर्तन के प्रस्ताव वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत शासन को प्रेषित किये जाना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रस्ताव हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 150 हेक्टर के समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाना है। वनमंडलाधिकारी जिला शाजापुर एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा नवीन प्रावधानों के तहत प्रारूप एक भरकर प्रभावित वन भूमि रकबा 150 हेक्टर के समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाने की मांग की गई। नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा ग्राम मांगलिया की भूमि सर्वे क्रमांक 72 रकबा 5.96 हे० नोईयत बर्डी, 73 रकबा 7.77 हे० नोईयत बर्डी, 40/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत बर्डी, 182 रकबा 6.15 हे० नोईयत गै. मु. बर्डी, 220 रकबा 7.58 हे० नोईयत बर्डी मे से 6.58 हे० (1 हे० गिटटी केशन मशीन को आवंटित होने से), 285/4 रकबा 2.05 हे० नोईयत गै.मु.बर्डी, 736/4 रकबा 2.25 हे० नोईयत बर्डी, 239 रकबा 14.00 हे० नोईयत बर्डी मे से 12.00 हे०, ( 2.00 हे० सडक निर्माण हेतु भूमि आरक्षित होने से) इस प्रकार कुल किता 08 कुल रकबा 44.76 हे० भूमि, ग्राम फावका की भूमि सर्वे क्रमांक 816/1 रकबा 0.63 हे० नोईयत गै.मु., 816/2 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/4 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/5 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/6 रकबा 1.26 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/7 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/8 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/9 रकबा 0.70 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/10 रकबा 1.47 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/11 रकबा 1.69 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/12 रकबा 1.49 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/13 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/14 रकबा 0.49 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/15 रकबा 1.64 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/16 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/17 रकबा 0.63 नोईयत च. गै.मु, 816/18 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/19 रकबा 23.96 हे० नोईयत गौ. मे से 12.00 हे०, 816/822 रकबा 1.14 हे० नोईयत नाला(नाला मद परिवर्तन किये बिना) इस प्रकार कुल किता 20 कुल रकबा 39.54 हे० भूमि, ग्राम कडूला मे सर्वे क्रमांक 2243/3 रकबा 4.82 हे० नोईयत गौ., 2244 रकबा 3.37 हे० नोईयत गो. गै.मु., 2245 रकबा 5.75 हे० नोईयत गो., 2246 रकबा 10.50 हे० नोईयत गै.मु. मे से 7.50 हे०, 2247 रकबा 6.04 हे० नोईयत गै.मु. मे से 4.04 हे०, कुल किता 05 कुल रकबा 25.48 हे०

  
कलेक्टर  
जिला शाजापुर (म.प्र.)



भूमि , ग्राम माल्याहेडी में भूमि सर्वे कमांक 939 रकबा 6.62 हे० नोईयत पहाड, 941 रकबा 28.85 हे० नोईयत पहाड मे से 6.82 हे० इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 13.44 हे० तथा ग्राम बाण्डाहेडी स्थित भूमि सर्वे कमांक 103 रकबा 11.11 हे० नोईयत उसर गै.मु., 313 रकबा 13.89 हे० नोईयत उसर, 435 रकबा 7.35 हे० नोईयत कृ. मे से 3.00 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 28 हेक्टेयर इस प्रकार तहसील मोहन बडौदिया के कुल पांच ग्रामो कमशः मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी, बांडाहेडी मे कुल रकबा 151.22 हे० भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण जांच प्रतिवेदन प्रारूप 2 इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2- प्रकरण विधिवत शीर्ष अ-19(3) में दर्ज किया जाकर म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र कमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 में निहित नवीन प्रावधानों के तहत प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 02.07.2021 को आयोजित की गई।


3- जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा बैठक में नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम मांगलिया की भूमि सर्वे कमांक 72 रकबा 5.96 हे० नोईयत बर्डी, 73 रकबा 7.77 हे० नोईयत बर्डी, 40/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत बर्डी, 182 रकबा 6.15 हे० नोईयत गै. मु. बर्डी, 220 रकबा 7.58 हे० नोईयत बर्डी मे से 6.58 हे० (1 हे० गिटटी केशन मशीन को आवंटित होने से) , 285/4 रकबा 2.05 हे० नोईयत गै.मु.बर्डी, 736/4 रकबा 2.25 हे० नोईयत बर्डी, 239 रकबा 14.00 हे० नोईयत बर्डी मे से 12.00 हे०. ( 2.00 हे० सडक निर्माण हेतु भूमि आरक्षित होने से) इस प्रकार कुल किता 08 कुल रकबा 44.76 हे० भूमि, ग्राम फावका की भूमि सर्वे कमांक 816/1 रकबा 0.63 हे० नोईयत गै.मु., 816/2 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/4 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/5 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/6 रकबा 1.26 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/7 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/8 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/9 रकबा 0.70 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/10 रकबा 1.47 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/11 रकबा 1.69 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/12 रकबा 1.49 हे० नोईयत च. गै.मु , 816/13 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/14 रकबा 0.49 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/15 रकबा 1.64 हे० नोईयत च. गै.मु , 816/16 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/17 रकबा 0.63 नोईयत च. गै.मु, 816/18 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/19 रकबा 23.96 हे० नोईयत गौ. मे से 12.00 हे० , 816/822 रकबा 1.14 हे० नोईयत नाला(नाला मद परिवर्तन किये बिना) इस प्रकार कुल किता 20 कुल रकबा 39.54 हे० भूमि, ग्राम कडूला मे सर्वे कमांक 2243/3 रकबा 4.82 हे० नोईयत गौ. , 2244 रकबा 3.37 हे० नोईयत गो. गै.मु., 2245 रकबा 5.75 हे० नोईयत गो. , 2246 रकबा 10.50 हे० नोईयत गै.मु. मे से 7.50 हे०, 2247 रकबा 6.04 हे० नोईयत गै.मु. मे से 4.04 हे०, कुल किता 05 कुल रकबा 25.48 हे० भूमि , ग्राम माल्याहेडी में भूमि सर्वे कमांक 939 रकबा 6.62 हे० नोईयत पहाड, 941 रकबा 28.85 हे० नोईयत पहाड मे से 6.82 हे० इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 13.44 हे० तथा ग्राम बाण्डाहेडी स्थित भूमि सर्वे कमांक 103 रकबा 11.11 हे० नोईयत उसर गै.मु., 313 रकबा 13.89 हे० नोईयत उसर, 435 रकबा 7.35 हे० नोईयत कृ. मे से 3.00 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 28 हेक्टेयर इस प्रकार तहसील मोहन बडौदिया के कुल पांच ग्रामो कमशः मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी, बांडाहेडी मे कुल रकबा 151.22 हे० भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग


कलक्टर  
जिला शाजापुर (म.प्र.)

को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्व सहमति से लिया गया। नजूल अधिकारी जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम फावका, मांगलिया, कडूला, माल्याहेडी एवं बाण्डाहेडी में चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत सुरक्षित रहेगा।

4- अतः म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत सक्षम प्राधिकारी-जिला नजूल निर्वर्तन समिति की स्वीकृति उपरांत आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उदवहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित लगभग 150 हेक्टर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण के लिये जिसे प्रकरण में शामिल नजरी नक्शा में लालस्याही से चिन्हित करके दर्शाया गया है, को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के तहत उसकी वर्तमान मद से कम किया जाकर (नाला भूमि का मद परिवर्तन किये बिना) मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 17 के तहत निम्नानुसार निःशुल्क निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है :-

| स. क्र.         | ग्राम    | सर्वे क्रमांक | कुल रकबा (रकबा हेक्टर में) | मद         | मौके की स्थिति | हस्तांतरित रकबा (रकबा हेक्टर में) |
|-----------------|----------|---------------|----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 01              | मांगलिया | 72            | 5.96                       | बडी        | रिक्त          | 5.96                              |
|                 |          | 73            | 7.77                       | बडी        | रिक्त          | 7.77                              |
|                 |          | 40/3          | 2.00                       | बडी        | रिक्त          | 2.00                              |
|                 |          | 182           | 6.15                       | गै.मु.ब डी | रिक्त          | 6.15                              |
|                 |          | 220           | 6.58                       | बडी        | रिक्त          | 6.58                              |
|                 |          | 285/4         | 2.05                       | गै.मु.ब डी | रिक्त          | 2.05                              |
|                 |          | 736/4         | 2.25                       | बडी        | रिक्त          | 2.25                              |
|                 |          | 239           | 14.00                      | बडी        | रिक्त          | 12.00                             |
| <b>कुल रकबा</b> |          |               |                            |            |                | <b>44.76</b>                      |
| 02              | फावका    | 816/1         | 0.63                       | गै.मु      | रिक्त          | 0.63                              |
|                 |          | 816/2         | 2.00                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 2.00                              |
|                 |          | 816/3         | 2.00                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 2.00                              |
|                 |          | 816/4         | 2.00                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 2.00                              |
|                 |          | 816/5         | 2.00                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 2.00                              |
|                 |          | 816/6         | 1.26                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 1.26                              |
|                 |          | 816/7         | 2.00                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 2.00                              |
|                 |          | 816/8         | 2.00                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 2.00                              |
|                 |          | 816/9         | 0.70                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 0.70                              |
|                 |          | 816/10        | 1.47                       | च.गै.मु    | रिक्त          | 1.47                              |

  
 कलेक्टर  
 जिला शाजापुर (म.प्र.)



|                            |                   |             |       |               |       |               |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|
|                            |                   | 816/1<br>1  | 1.69  | च.गै.मु       | रिक्त | 1.69          |
|                            |                   | 816/1<br>2  | 1.49  | च.गै.मु       | रिक्त | 1.49          |
|                            |                   | 816/1<br>3  | 1.20  | च.गै.मु       | रिक्त | 1.20          |
|                            |                   | 816/1<br>4  | 0.49  | च.गै.मु       | रिक्त | 0.49          |
|                            |                   | 816/1<br>5  | 1.64  | च.गै.मु       | रिक्त | 1.64          |
|                            |                   | 816/1<br>6  | 1.20  | च.गै.मु       | रिक्त | 1.20          |
|                            |                   | 816/1<br>7  | 0.63  | च.गै.मु       | रिक्त | 0.63          |
|                            |                   | 816/1<br>8  | 2.00  | च.गै.मु       | रिक्त | 2.00          |
|                            |                   | 816/1<br>9  | 23.96 | गो.गै.मु      | रिक्त | 12.00         |
|                            |                   | 816/8<br>22 | 1.14  | नाला          | -     | 1.14          |
| <b>कुल रकबा</b>            |                   |             |       |               |       | <b>39.54</b>  |
| <b>03</b>                  | <b>कडूला</b>      | 2243/<br>3  | 4.82  | गो.           | रिक्त | 4.82          |
|                            |                   | 2244        | 3.37  | गो.गै.मु      | रिक्त | 3.37          |
|                            |                   | 2245        | 5.75  | गो.           | रिक्त | 5.75          |
|                            |                   | 2246        | 10.50 | गै.मु         | रिक्त | 7.50          |
|                            |                   | 2247        | 6.04  | गै.मु         | रिक्त | 4.04          |
| <b>कुल रकबा</b>            |                   |             |       |               |       | <b>25.48</b>  |
| <b>04</b>                  | <b>माल्याहेडी</b> | 939         | 6.62  | पहाड          | रिक्त | 6.62          |
|                            |                   | 941         | 28.85 | पहाड          | रिक्त | 6.82          |
| <b>कुल रकबा</b>            |                   |             |       |               |       | <b>13.44</b>  |
| <b>05</b>                  | <b>बाण्डाहेडी</b> | 103         | 11.11 | उसर<br>गै.मु. | रिक्त | 11.11         |
|                            |                   | 313         | 13.89 | उसर           | रिक्त | 13.89         |
|                            |                   | 435         | 7.35  | कृ.           | रिक्त | 3.00          |
| <b>कुल रकबा</b>            |                   |             |       |               |       | <b>28.00</b>  |
| <b>हस्तांतरित कुल रकबा</b> |                   |             |       |               |       | <b>151.22</b> |

**शर्तः-**

1. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आवंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत् शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
2. विभाग को भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं प्रबंधन संबंधी गतिविधि प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा।

  
**कलेक्टर**  
**जिला साजापुर (ग.प्र.)**



3. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।
4. हस्तांतरित की गई भूमि पूर्णतः शासन के स्वामित्व की रहेगी।
5. किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है अथवा हस्तांतरित की गई भूमि पर शासन निर्देशानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाता है या हस्तांतरित की गई भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना में वर्णित प्रयोजन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाता है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग को अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा वापस अपने आधिपत्य में ली जावेगी।
6. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त करना होगी।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यत्व हो जावेगा।

5- तहसीलदार मो.बडोदिया आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की पृविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा वन विभाग को हस्तांतरित भूमि का कब्जा सौंप कर, कब्जा रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाये।

यह आदेश आज दिनांक 02/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(दिनेश जैन)

कलेक्टर

जिला शाजापुर(म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक/रीडर-एक/2021/ 396

शाजापुर दिनांक 02/07/2021

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख राजस्व आयुक्त मप्र शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
- 3- वनमंडलाधिकारी जिला शाजापुर।
- 4- कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाजापुर।
- 6- तहसीलदार तहसील मो.बडोदिया की ओर आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है की कब्जा रिपोर्ट, अमलशुदा खसरा, नक्शा एवं कब्जा प्राप्ति रसीद सहित 07 दिवस में इस न्यायालय को भिजवाये।

कलेक्टर  
कलेक्टर  
जिला शाजापुर(म0प्र0)  
जिला शाजापुर (म.प्र.)